INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 03 | January – March 2018

वुड्स घोषणा-पत्र (1854) के प्रमुख उद्देश्य एवं सिफारिशें : एक विवेचना

डॉ० चेतन कुमार
ग्राम एवं पोस्ट – प्रह्लादपुर , सिलौत , मुजफ्फरपुर

सार

वुड्स डिस्पैच 1854 शिक्षा पर एक समाविष्ट आदेश पत्र है। इस डिस्पैच में भारतीय शिक्षा पर एकव्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। वुड डिस्पैच के इस घोषणापत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित हुई और इसके साथ ही जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज खोले गए। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर बल दिया गया था। मैकाले की सिफारिश के आधार पर भारतीय शिक्षा का विकास हुआ उसमें व्याप्त कमियों को दूर कर आगे की योजना के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र तैयार किया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा माना जाता है। वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक की व्यवस्था की गई थी। इसमें शिक्षा के विषयों, माध्यम, भाषा स्तर, उद्देश्य, शैक्षणिक संगठन व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी।

मुख्य शब्द : डिस्पैच, शैक्षणिक, स्कूल, भारतीय इत्यादि ।

प्रस्तावना

सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिये एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव-पत्र भेजा, जिसे 'वुड का घोषणापत्र' या 'वुड्स डिस्पैच' कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा इसलिये कहा जाता है क्योंकि यह पहला इतना

व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी।

शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लार्ड डलहौजी के समय में शुरु हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहत योजना तैयार की जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया।

वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणापत्र (वुड्स डिस्पैच) सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया सौ अनुच्छेदों का लम्बा पत्र था जो 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उसके सम्बन्ध में सिफारिशें की गई थीं। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के "बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल" के सभापति थे। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा गया।

डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

- सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे।
- उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाये।
- देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालायें स्थापित की जायें और उनके ऊपर (जिला स्तर पर) ऐंग्लो-वर्नेकुलर हाईस्कूल और संबंधित कालेज खोले जाये।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाये।
- महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये।
- शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना।
- कंपनी ने 5 प्रांत-बंगाल,मद्रास,बंबई,उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक-2 शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा।
- लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता,बंबई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएँ संचालित करना हो।

वुड घोषणा पत्र

वुड घोषणा पत्र 'बोर्ड ऑफ़ कन्ट्रोल' के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई, 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे 'वुड का डिस्पैच' कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था।

वुड घोषणा-पत्र के उद्देश्य

वुड ने अपने घोषणा-पत्र में कम्पनी के शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है- ‘‘अनेक महत्त्वपूर्ण विषयो में से, अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता, जितना कि ‘शिक्षा’। यह हमारा पुनीत कर्त्व्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने इंग्लैण्ड के सम्पर्क से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से सम्पन्न हो सकें।’’ वुड के घोषणा-पत्र के प्रमुख उद्देश्य जो उसने अपनी प्रस्तावना में लिखे हैं- वे इस प्रकार हैं-

1.भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना।

2.भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताए ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना, ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सकें।

3.भारतीयों में कम्पनी के कार्यलायों, कारखानों में कार्य करने की निपुणताए विकसित करना, ताकि वे रोजगार, श्रम तथा पूजी आदि शब्दों से परिचित हो सकें। ताकि श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके।

4.भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित करना।

5.भारत में परिमार्जित कलाओं विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपियन साहित्य का संचार करना।

वुड के घोषणा-पत्र में लिखित संस्तुतियाँ

वुड ने तात्कालिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के बाद भावी शिक्षा नीति सम्बन्धी व्यापक विचार प्रस्तुत किये थे। इन विचारों को यहाँ पर बिन्दुबद्ध किया जा रहा है-

1.**शिक्षा का माध्यम:** अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाए (Medium of Instruction: English and Vernacular languages)- घोषणा-पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकारा गया है। घोषणा-पत्र में व्यक्त किया गया है कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ-साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है।

2.सहायता अनुदान प्रणाली: सरकारी संस्थाओं का, स्थानीय निकायों का क्रमिक रूप से स्थानान्तरण (Grant-in-Aid System: Transfer of Government Institution to the Management of Local Bodies) – सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा के सम्बन्ध में वुड के घोषणा-पत्र में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गये हैं-

"हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं, जो कि इस देश में सफलतापूर्वक सम्पादित की गयी है। इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संसाधनों की सहायता की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लायी जा सकती है जो कि मात्र सरकारी धन के व्यय से सम्भव प्रतीत नहीं होती है।"

वुड घोषणा पत्र के गुण

1. घोषणापत्र लागू होने के बाद मैकाले के उस सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया जिसके अंतर्गत चयनित व सीमित संख्या में उच्च वर्ग के लोगों की शिक्षा का दायित्व ही सरकार को वहन करना था।

2. बुड डिस्पैच की सिफारिश के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया।

3. स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।

4. पुरानी शिक्षा परिषद और लोक शिक्षा समिति के स्थान पर 1855 में लोक शिक्षा विभाग

स्थापित कर दिया।

5. तीन विश्वविद्यालय मुंबई, कोलकाता और मद्रास 1857 में अस्तित्व में आए।

6. वुड घोषणापत्र के द्वारा सिफारिश के आधार पर भारतीय शिक्षा में व्याप्त कमियों को दूर किया गया।

वुड घोषणा पत्र के दोष

1. वुड का घोषणा पत्र 1854 इंग्लैंड के प्रारूप की नकल हुई माना

गया है। इसे भारतीय संदर्भ में ढालने का प्रयास किया गया है।

2. इसमें विद्यालय प्रशासन की ठोस योजना का अभाव है। लोक शिक्षा विभाग के महानिदेशक मूल रूप से प्रशासक थे ना कि शिक्षा शास्त्री

3. विश्वविद्यालयों को अध्यापन कार्य नहीं सौंपा गया एवं वे मात्र परीक्षा आयोजित करवाने वाली

संस्था बन कर रह गई।

4. भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यीकरण हुआ और अनेक संस्थाएं स्थापित की गई।

उपसंहार

हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डिस्पैच के प्रकाशन के तुरंत बाद, नई तर्ज पर शिक्षा की प्रचलित प्रणाली के आयोजन के लिए कदम उठाए गए थे। इस संबंध में एच। आर। जेम्स ने कहा, "1854 का विवरण इस प्रकार भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरमोत्कर्ष है जो इससे पहले आगे बढ़ता है, इसके बाद क्या होता है"।भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड्स डिस्पैच का बहुत महत्व माना जाता था। यह पहली बार था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जा सकी। प्रो। एस.एन. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक “भारत में शिक्षा का इतिहास” में देखा, “द डिस्पैच वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना चर्ता ’माना जाता था।

"यह वर्णन प्रकृति में इतना व्यापक है कि भारतीय शिक्षाविद् अभी तक उन कार्यों को पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं, जिन्हें उन्होंने निर्धारित किया था। इसने एक ऐसी योजना प्रदान की जिसने भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की, इस देश के लिए शिक्षा की एक सामान्य योजना में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की तुलनात्मक स्थिति को सही रूप से परिभाषित किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

[1] डा० ए० एस० अल्तेकर- एजूकेशन इन एन्सीएन्ट इण्डिया, ननन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी, 1957

[2] डा० पी० एन० प्रभु- हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन बम्बई, 1958

[3] डा०एस० एन० मुकर्जी- हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया (मार्डन पीरियड) आचार्य बुक डिपार्टमेन्ट, बड़ौंदा, 1955

[4] एस० एम० जाफर- एजूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया, मैक मिलन कम्पनी, लन्दन, 1936

[5] अमीर अली- स्प्रीट ऑफ इस्लाम, लंदन, 1955

[6] ए० एन० बसु- एजूकेशन इन मार्डन इण्डिया, ओरियन्ट बुक कम्पनी, कलकत्ता, 1947

[7] एच० आरए० जेम्स- एजूकेशन एण्ड स्टेटस्मैनशिप इन इण्डिया, बाम्बे लांगमैन्स,1917

[8] एम० आर० प्रांजपे- प्रोग्रेश ऑफ एजूकेशन, पूना, जुलाई, 1941

[9] लाला लाजपत राय- द प्राबलम्स ऑफ नेशनल एजूकेशन इन इण्डिया; मिनीस्ट्री ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड ब्रोडकास्टिंग,1966, नई दिल्ली

[10] डा० एस० एन० मुकर्जी-- एजूकेशन इन इण्डिया टूडे एण्ड ट्मारो, आचार्य बुक डिपार्टमेन्ट, बड़ौदा, 1964